



AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY

UTTAR PRADESH

SANCTION LETTER

PERMIT DATE : 24 Jul 2021

FILE No. : ADA/LD/20-21/1109

Site Address : KH. NO-258, KAMAL VIHAR, MAUZA DEHTORA, AGRA

PERMIT NO. : Plotted development/01051/ADA/LD/20-21/1109/23032021

USE : Residential

SCHEME : NA

PROPERTY : Gata/ ARAZI No.: KH. NO-258
LandMark: NEAR CONVANT
SCHOOL
Revenue Village: Dahtora
Tehsil: Agra
District: Agra

NAME : RADHIKA BUILDTECH PVT LTD &
RADHIKA INFRASYS PVT LTD &
RADHEYSHYAM
INFRADEVELOPERS PVT LTD
THROUGH SIGN AUTH POONAM
LAHOTI

ADDRESS : KH. NO-258, KAMAL VIHAR, MAUZA DEHTORA, AGRA,AGRA,Uttar Pradesh

Your proposal submitted with reference to above has been examined as per rules and found suitable as per proposal drawing building Bylaws-2008 (Amended till-2018)

Date of Validity: **23 Jul 2026** or Expiry date of lease deed whichever is earlier.

Restrictions Required:

1. This permission is given based on the inputs on pages, documents and drawing provided by Applicant/ Architect. Applicant/ Architect confirms that the documents/ drawings submitted electronically or inputs by them are correct.
2. The permission accorded does not confer any ownership rights. The permission will be revoked at later stage, if it is found that the documents or information are false and fabricated.
3. Subject to obtaining of all required NOC's.

STANDARD CONDITIONS

1. This map is valid up to five years from the date of approval.
2. Before commencement of construction information shall be given to the Authority and after completion of construction, Completion Certificate shall be obtained from the Authority before occupying of the building or part thereof as per provision of Building Bye-Laws 2008 (as amended 2011/2016).
3. Before starting of construction, a board 4 ft x 3 ft shall be put up at the site on which Name of approving Authority, permit number, approval date, validity date and name of architect are to be

mentioned.

4. Responsibility of Structure safety and quality shall be of Applicant.
5. Government Orders in force time to time shall be complied.
6. If approving Authority issue any demand letter in future, the applicant has to deposit the same without any objection.
7. If any dispute at any point of ownership arises in future, the permission shall be forfeited automatically (without giving any show cause notice). The approval of map does not give land rights to the applicant.
8. If any information is concealed or given wrong by the applicant, the map shall be cancelable.
9. Regarding construction, the standard/conditions specified in the Building Bye-Laws shall be implemented.
10. The building will be used only for which it is sanctioned.
11. Indian Electricity Rules shall not be violated and the conditions mentioned on NOC(s) issued by the different departments shall also be followed.

Next Application Process:

- Apply for Work start intimation on work start for intimation to authority from UPOBPAS
- Apply for Plinth Completion after completion of Plinth from UPOBPAS
- Apply for Occupancy after completion of Building through UPOBPAS.

NGT CONDITIONS

- 1) Owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including owner, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
- 2) The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
- 3) All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
- 4) The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
- 5) The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared

before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.

- 6) Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
- 7) Owner shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relating to dust emission.
- 8) It shall be the responsibility of owner to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
- 9) All owners/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
- 10) Wind breaking walls around construction site.
- 11) All owners shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the owners and transporters.
- 12) Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
- 13) Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
- 14) Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
- 15) The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
- 16) Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
- 17) Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.
- 18) Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.

- 19) Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
- 20) Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
- 21) Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).
- 22) Green belt creation will also act as a mitigating factor.

SPECIAL CONDITIONS :

NA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Name : RAJENDER PENSIYA
Designation : Vice Chairman
Organization : AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY A
Date : 24-Jul-2021 18: 08:09

AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY



Agra Development Authority

Uttar Pradesh

File No. : ADA/LD/20-21/1109

Letter No. : ADA/LD/20-21/1109/NOC

Dated : 19 Mar 2021

To,

Nodal Officer

- 1) Municipal Corporation .
- 2) Municipal Corporation .
- 3) Jal Sansthan .
- 4) Jal Sansthan .
- 5) NOC from Acquisition Section.
- 6) NOC from Acquisition Section.
- 7) NOC from Nazool Department.
- 8) NOC from Nazool Department.
- 9) NOC from Tehsil.
- 10) NOC from Tehsil.
- 11) NOC from Ceiling department.
- 12) NOC from Ceiling department.
- 13) permission from electricity service provider.
- 14) permission from electricity service provider.

Subject:

No Objection Certificate (NOC) required for Nature of Construction/ Case Type **New**, Plot sub use **Plotted Resi development / Plotted Housing** on Plot No. **KH. NO-258** Address **KH. NO-258,,Agra,Dahtora,Agra** owned by **RADHIKA BUILDTECH PVT LTD & RADHIKA INFRASYS PVT LTD & RADHEYSHYAM INFRADEVELOPERS PVT LTD THROUGH SIGN AUTH POONAM LAHOTI.**

Sir/Madam,

On Plot No. **KH. NO-258** Address **KH. NO-258, KAMAL VIHAR, MAUZA DEHTORA, AGRA , RADHIKA BUILDTECH PVT LTD & RADHIKA INFRASYS PVT LTD & RADHEYSHYAM INFRADEVELOPERS PVT LTD THROUGH SIGN AUTH POONAM LAHOTI** had submitted a map for Nature of Construction/ Case Type **New** , Plot sub use **Plotted Resi development / Plotted Housing** for which we seek No Objection Certificate from your department.

Kindly go through the map of respective site and provide the No Objection Certificate / Objection within 15 days from the letter issuance date so that the case could be disposed at our end.

Thanks,

Agra Development Authority

Owner Emails : arvind.upadhyay05@gmail.com

Owner communication Address: KH. NO-258,,Agra,Dahtora,Agra

Note: This is a System generated letter and hence does not require any signature.

Site Address: KH. NO-258, KAMAL VIHAR, MAUZA DEHTORA, AGRA

Enclosed: Proposed Map

CC To. :

- 1) RADHIKA BUILDTECH PVT LTD & RADHIKA
INFRASYS PVT LTD & RADHEYSHYAM
INFRADEVELOPERS PVT LTD THROUGH SIGN
AUTH POONAM LAHOTI
- 2) Arvind Kumar Upadhyay
- 3) Vice Chairmen

कार्यालय, नगर निगम, आगरा।

संख्या- २८७१/८/५५/२०२१

दिनांक:- 20-03-

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषय:- खसरा संख्या-258 कमल विहार मौजा दहलोरा, आगरा पर प्रस्तुत ऑनलाईन ले-आउट मानचित्र की स्वीकृति हेतु एन0ओ0सी0 जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय.

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय ऑनलाईन पत्रांक मैप नं०-ADA/LD/20-21/1109/NOC दिनांक 19.3.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मै० राधिका बिल्डटैक प्रा०लिमि० एण्ड राधिका इन्फ्रासिस लिमि० एण्ड राधेश्याम इन्फ्रा. डवलपर्स प्रा०लिमि० द्वारा पूनम लाहौटी द्वारा प्रस्तुत ले-आउट मानचित्र की स्वीकृति हेतु एन०ओ०सी० भिजवाने की अपेक्षा की गयी है, के संदर्भ में अवगत कराना है कि संलग्न ले-आउट प्लान में दर्शायी गयी भूमि खसरा संख्या-258 कमल बिहार, मौजा दहतोरा तहसील व जिला आगरा में नगर निगम, आगरा की तालाब/पोखर/जलाशय आदि की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।

संलग्नक-मानचित्र की प्रति

प्रभारी संपत्ति
नगरपालिकामै, आसुतिलि
नगर निगम, आसुतिलि

प्रतिलिपि:- मै० राधिका बिल्डटैक प्रा०लिमि० एण्ड राधिका इन्फ्रासिस लिमि० एण्ड राधेश्याम इन्फ्रा. डवलपर्स प्रा०लिमि० द्वारा पूनम लाहौटी निवासी-207 शान्ति निकेतन लाजपत कुंज, खंदारी आगरा को सूचनार्थ ।

प्रभारी सम्पत्ति
नगर निगम, आगरा

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
जलकल विभाग, आगरा।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

पत्रांक: 1224/ई0ई0/ज0क0वि0/एन.ओ.सी./20-2021

दिनांक 20/03/2021

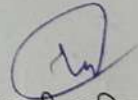
महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0-एडीए/एल.डी./20-21/1109/एन.ओ.सी. दिनांक 19.03.2021 का संदर्भ लें। मै0 राधिका बिलटेक प्रा0लि0, मै0 राधिका इन्फ्रासिस प्रा0लि0 एण्ड राधेश्याम इन्फ्राडेबलेपर्स, निवासी-कमल विहार, देहतोरा, आगरा द्वारा भूखण्ड सं0- खसरा सं0-258, कमल विहार मौजा-देहतोरा, आगरा पर प्रस्तुत मानचित्र हेतु एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये प्रेषित किये गये प्रस्ताव के क्रम में जो नगर निगम सीमा के बाहर है, आगरा जलकल विभाग द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ आपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है-

1. सम्बन्धित क्षेत्र में आगरा जल संस्थान की वर्तमान में जलापूर्ति की व्यवस्था न होने के कारण भविष्य में उक्त क्षेत्र में सीवर के लिये पाइप लाइन आदि बिछाये जाने व पानी की आवश्यकता व्यवस्था के कार्यों हेतु आवश्यक विकास शुल्क/अनुपातिक व्यय आगरा जल संस्थान में जमा कराया जायेगा जो उक्त भू-स्वामी द्वारा देय होगा।
2. अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल प्रस्तावित भूमि पर केवल ऑनलाईन मानचित्र निर्माण के लिये ही निर्गत किया जा रहा है। इस कार्य के अतिरिक्त यदि भूमि अन्य प्रयोजन में ली जाती है तो पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. प्रस्तावित भूखण्डीय विकास हेतु आवश्यक जलापूर्ति एवं ड्रेनेज तथा सीवरेज निस्तारण हेतु जल संस्थान द्वारा कोई व्यवस्था/सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी एवं यह व्यवस्था मानचित्र प्रस्तोता को स्वयं अपने व्यय व स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप करनी पड़ेगी, जिसके संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व भी उसी का होगा।
4. सीवर की व्यवस्था के लिए उचित सीवर शोधन एवं उसके निस्तारण हेतु पर्यावरण को दृष्टिकोण में रखते हुए वैज्ञानिक रूप से निस्तारण कराना होगा।
5. सम्बन्धित क्षेत्र में यदि भविष्य में सीवर लाइन डाली जाती है तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एवं सीवर संयोजन हेतु निर्धारित देयों का जल संस्थान को भुगतान करने पर ही दिया जा सकेगा।
6. सम्बन्धित क्षेत्र में पाइप लाइन न होने के कारण भविष्य में पाइप लाइन डाली जाती है तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एवं जल संयोजन हेतु निर्धारित देयों का जलकल विभाग को भुगतान करने पर ही दिया जा सकेगा।
7. सम्बन्धित क्षेत्र हेतु जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था हेतु किये जाने वाले कार्यों पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित विकास शुल्क/अनुपातिक व्यय का भुगतान करना होगा।

8. भविष्य में सीवर व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर भू-स्वामी/भूमि का उपयोग करने वाले व्यक्ति/फर्म को जल संयोजन एवं सीवर संयोजन के लिये जलकल विभाग के समक्ष पृथक से आवेदन कराना होगा, और उस पर नियमानुसार देय भुगतान करने के उपरान्त ही जल संयोजन एवं सीवर संयोजन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं भविष्य में नियमित रूप से भुगतान करने की वचनबद्धता का अनुपालन कराने पर ही अनुमत्य होगा, जिसके लिए शपथ पत्र दिया जाना होगा।
9. प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र में आन्तरिक जलापूर्ति व्यवस्था के लिये मानचित्र प्रस्तुतकर्ता को जल स्रोत एवं जल वितरण प्रणाली मानकों के अनुरूप तैयार करनी होगी तथा आन्तरिक सीवर व्यवस्था के लिये सीवर लाइनों एवं सीवर निस्तारण की व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करनी होगी।
 1. वर्तमान में सीवर लाइन की क्षमता। - इस क्षेत्र में सीवर की व्यवस्था नहीं है।
 2. वर्तमान में जनसंख्या घनत्व। - सामान्य है।
 3. क्या वर्तमान जनसंख्या घनत्व के लिये वर्तमान सीवर लाइन की क्षमता पर्याप्त नहीं है? - सीवर व्यवस्था हेतु मानचित्र प्रस्तुतकर्ता को वैज्ञानिक विधि से सीवर निस्तारण करना होगा, ताकि भूमिगत जल स्रोत प्रदूषित न हो सकें।
 4. यदि उक्त बिन्दु-3 का उत्तर सकारात्मक है तो प्रस्तावित निर्माण से जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। - बिन्दु 3 के अनुसार।
 5. प्रस्तावित निर्माण के फलस्वरूप क्या वर्तमान सीवर लाइन की क्षमता पर्याप्त होगी? - बिन्दु 3 के अनुसार।
 6. क्या वर्तमान निर्माण में उत्सृजित सीवर को सीवर लाइन से जोड़ा जा सकता है? - बिन्दु 3 के अनुसार।
 7. क्या सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट की आवश्यकता है? - बिन्दु 3 के अनुसार।
 8. अन्य कोई शर्तें, यदि आवश्यकता हों।

भवदीय,


अधिशायी अभियन्ता
जलकल विभाग, आगरा।**अधिशायी अभियन्ता****जल-कल विभाग****आगरा**

पृ.सं. एवं दिनांक:-

/तदैव/

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. मै० राधिका बिलटेक प्रा०लि०, राधिका इन्फ्राटेक प्रा०लि० एण्ड राधेश्याम इन्फ्राडेवलेपर्स प्रा०लि० प्रो० पूनम लाहोती, निवासी-आगरा को सूचनार्थ।

/

अधिशायी अभियन्ता
जलकल विभाग, आगरा।

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या: 1125 / व0न0लि0

दिनांक: मार्च २६, 2021 ई0

विषय: मौजा दहतौरा, तहसील आगरा के खसरा संख्या-258 के संबंध में।

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

कृपया, मौजा दहतौरा, तहसील आगरा के खसरा संख्या-258 के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या-ADA/BP/20-21/1109/NOC दिनांक 19.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल एवं नजूल मुहरिर आगरा से स्थलीय एवं भौतिक निरीक्षण कराया गया। तद् सम्बन्ध में प्राप्त क्षेत्रीय लेखपाल एवं नजूल मुहरिर की संयुक्त जांच आख्या 25.03.2021 मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

26/03/21

(पुष्पराज सिंह)

अपर जिलाधिकारी (प्रो0) /
प्रभारी अधिकारी (नजूल),
आगरा।

SNC/0-C

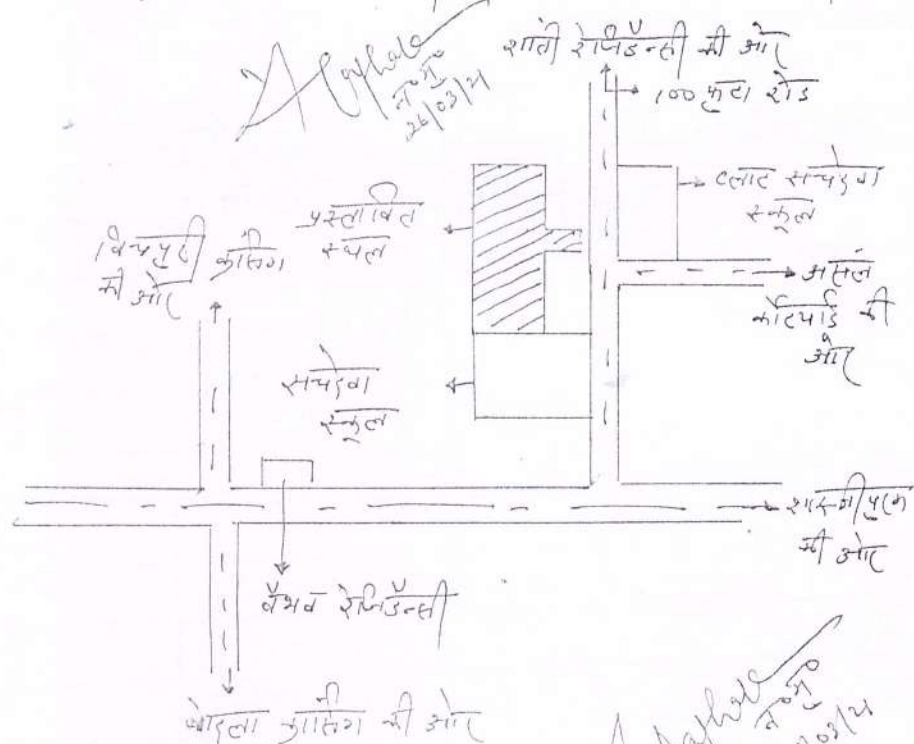
महोदय,

संलग्न पत्रांक अधिनियम सं. 258/20-21/1109/1482 दि. 19/03/24
 पर प्रस्तावित आसफे आडुडा के अनुपालन में कॉमलम में उपलब्ध
 आगिले स्थान सं. 1 पर प्रस्तावित स्थल का निर्माण किया गया है।
 जो कि आसफे स्थल पर है।

प्रस्तावित स्थल राजस्व अधिनियम सं. 258 का
 भाग है, जो कि ग्रेनी 1(क) की भागी है, प्रस्तावित स्थल के पूर्व में
 सायदेवा स्कूल है। यह स्थल है, तथा पार्श्व में निर्माण सम्पन्न
 है। प्रस्तावित स्थल के सामने रोड पर सायदेवा स्कूल की भागी है
 जिसका विद्यालय की वसो की पार्किंग के रूप में उपयोग में लाया
 जा रहा है।

कॉमलम में उपलब्ध आगिले स्थान सं. 1 पर प्रस्तावित भागी नष्ट
 भूखण्ड वाली भागी नहीं है।

निम्न आसफे कॉमलम में है।



वर्तमान/पुनर्निर्माण कार्य-शुल

आगत

महोदय

AOA/LO/2021

1109/1100

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या

AOA/LO/2021/1109/1100 दिनांक 10/03/2021 को जारी की गई थी।

संलग्न

6+1=

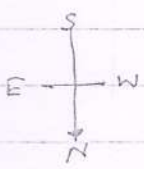
7th floor

दिनांक 20/3/21 को अनुपलब्ध प्रतीत होने के कारण उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में निर्माण कार्य रुक गया है।
अतः संख्या 258 का अंकन नहीं है। तालिका द्वारा निर्धारित संख्या आवासीय इलाके में निर्माण कार्य के लिए आवश्यक है।
20/3/2021 में जल संख्या 258 मौजूद दस्तावेज प्रदान करने पर निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।
नगरपालिका कार्यवाही शुरू होगी।

अतः जल संख्या 258 के अभाव में निर्माण कार्य रुक गया है।
आवासीय इलाके में निर्माण कार्य

1109
25/3/21

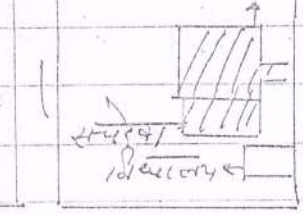
शाली रेलवे लाइन की ओर



विद्युत् लाइन की ओर

लॉक संचालन स्कूल

प्रस्तावित स्थल



नया बिंदु

शालीपुरम नगर नाला की ओर

बोडला की ओर

Handwritten signature and date 20/3/21.

बिजली करती सेवा है।

बिजली जान लेवा है।

Email: electsafetyagra@gmail.com

कार्यालय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, आगरा ज०,

एफ-45 कमला नगर, आगरा-282005।

संख्या वि०सु०नि०/निरीक्षण/2020-21

दिनांक 25-03-2021 / फरवरी / 2021

सेवा में,

श्रीमती पूनम लोहाटी (डायरेक्टर)
सर्वश्री राधिका बिल्डटेक प्रा०लि०,
सर्वश्री राधिका इन्फ्रासिस प्रा०लि०,
सर्वश्री राधेश्याम इन्फोडेवलपर्स प्रा०लि०,
ख०न० 258, कमल विहार, मौजा-दहतोरा,
जिला-आगरा।

विषय :- आप द्वारा मांगी गयी उक्त स्थल की अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
प्रसंग :- आपका पत्रांक-शून्य जो इस कार्यालय में दिनांक 24.03.2021 को प्राप्त हुआ।

महोदय,

कृपया सूचनीय है कि स्थल का निरीक्षण महेन्द्र सिंह, विद्युत सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.03.2021 को करने पर पाया गया कि उक्त स्थल पर कोई लाइन नहीं गुजर रही है।
अतः उक्त स्थल विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है।

कृपया आप स्थल पर अस्थायी विद्युतीय अधिष्ठापन एवं उपकरणों को उ०प्र० शासन से लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से अधिष्ठापित करायें एवं आयोजन से दो दिन पूर्व कार्यपूरक प्रमाण पत्र (बी०एण्ड एल० फार्म) इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। तदोपरान्त निरीक्षण करके विद्युत उपकरणों एवं अधिष्ठापनों को उर्जित करके प्रयोग में लाये जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

भवदीय,

सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा,
उ०प्र० शासन, आगरा ज० आगरा

संख्या 2279(I) वि०सु०नि०/निरीक्षण/2020-21

दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

1. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, जिला-आगरा।
2. उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, आगरा रीजन, आगरा।

सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा,
उ०प्र० शासन, आगरा ज० आगरा

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण आगरा।

पत्रांक ०९ / न०भू०सी० / 21

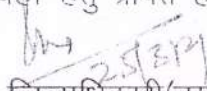
दिनांक २५-३-२१

विषय:- खसरा संख्या 258 मौजा दहतौरा आगरा के आनलाईन मानचित्र की स्वीकृत हेतु एन०ओ०सी० के सम्बन्ध में।

नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या ए०डी०ए०/एल०डी०/20-21 /1109/एन०ओ०सी० दिनांक 19.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके माध्यम से श्री पूनम लोहती कमला नगर आगरा के द्वारा आनलाईन मानचित्र स्वीकृत हेतु एन०ओ०सी० चाहा गया है।

इसके सम्बन्ध अवगत कराना है की तहसीलदार (सदर) से जाँच कराई गयी, जाँच आख्या दिनांक 25.03.2021 की छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यावही हेतु प्रेषित है।


अपर जिलाधिकारी(नगर)/
सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण
आगरा।

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण आगरा।

पत्रांक 778/न०भू०सी०/21

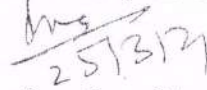
दिनांक 25-3-21

विषय:- खसरा संख्या 258 मौजा दहतोरा आगरा के आनलाईन मानचित्र की स्वीकृत हेतु एन०ओ०सी० के सम्बन्ध में।

तहसीलदार(सदर)
आगरा।

कृपया आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पत्र संख्या ए०डी०ए०/एल०डी०/20-21/1109 एन०ओ०सी० दिनांक 19.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके माध्यम से श्री पूनम लोहती निवासी कमला नगर आगरा के द्वारा आनलाईन मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा एन०ओ०सी० चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में आप से अपेक्षा है कि सम्बन्धित खसरा संख्या 258 मौजा दहतोरा आगरा की जाँच कराकर अपनी जाँच आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराए जिससे प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया सके।


25/3/21

अपर जिलाधिकारी(नगर)/
सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण
आगरा।

RE/क्षेत्र

इसके लिए

आगरा। दिनांक 25/3/21

मधेय,

समानं पत्रांक सं० मे-४/न० भू० सी०/२१ दिनांक २५-३-२१ कायलिय सत्रम प्राधिकारी, नगरभूमि सीमारोपण आगस्य द्वारा खसरा सं० २५८ मौजा दतौरा आगरा सी ज़ाबुलान मानपिज की स्वीकृति हेतु एन. ओ. सी. के सम्मन्ध में जाँच आख्या बाही गयी है।

मधेय के आदेश के क्रम में उक्त खसरा न० २५८ मि० मौजा दतौरा सीमिंग से प्रभावित है या नहीं की जाँच आख्या निम्नवत है—
उपरोक्त अभिलिखित खसरा सं० २५८ मि०/१-११४० हे० निम्नी नकल (कोनी)

जमान है पर राबिका विन्डरेड प्राम्वर लि० आगस्य द्वारा जयदेव
सपिन लाहोरी आदि का नाम नहीं सकुमणीय भूमिधर (श्रीनी १-५)
द्वारा है तथा खसरा पर सीमिंग से सम्प्रिखत किछां आरक्ष
का अर्थ नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार सादर आ० का० हेतु आख्या सेवा के
प्रेषित है।

J.R. Chaudhary

25/03/21

(सैन्य लेखपाल)



कार्यालय तहसीलदार (सदर) आगरा

संख्या ९३३ /रा.लि.

दिनांक :- 20/3/21

विषय :- खसरा संख्या 258मि ग्राम दहतोरा आगरा पर मानचित्र स्वीकृति हेतु NOC के सम्बन्ध में ।

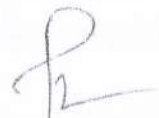
सक्षम अधिकारी

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ।

उपरोक्त विषयक पत्रांक संख्या ADA/LD/20-21/1109/NOC Dated : 19Mar 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । जिसके द्वारा RADHIKA BUILDTECH PVT LTD & RADHIKA INFRASYS PVT LTD & RADHESHYAM INFRADEVELOPERS PVT LTD THROUGH SIGN AUTH POONAM LAHOTI को मानचित्र स्वीकृति हेतु NOC के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की जाँच क्षेत्रीय लेखपाल के माध्यम से कराई गई । जिसकी आख्या मूलरूप में सलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

सलग्नक यथोक्त ।


तहसीलदार (सदर),

आगरा ।
तहसीलदार (सदर)
आगरा

महोदय,

सलंगन पत्रांक स. ADA/LD/20-21/1109/NOC Dated : 19Mar 2021 आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा (ADA) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें ADA द्वारा ग्राम दहतोरा के खसरा न. 258 मि. पर RADHIKA BUILDTECH PVT LTD & RADHIKA INFRA SYS PVT LTD & RADHESHYAM INFRADEVELOPERS PVT LTD THROUGH SIGN AUTH POONAM LAHOTI को मानचित्र स्वीकृति हेतु NOC चाही गयी है।

जिसके सम्बन्ध में महोदय के आदेश के क्रम में की गयी बिन्दुवार जाँच आख्या निम्नवत है -

- 1- ग्राम दहतोरा खसरा स. 258 जो.च.आकार पत्र 45 में रामखिलाड़ी आदि निवासी ग्राम के नाम दर्ज है।
- 2- ग्राम दहतोरा के राजस्व अभि. वर्तमान खतौनी के खाता स. 00017 खसरा स. 258 मि. पर राधिका बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड आगरा आदि का नाम (श्रेणी 1- क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो) दर्ज है, जिसकी नकल खतौनी सलंगन है।
- 3- उक्त प्रश्नगत भूमि में चकरोड, नाली, तालाब, पोखर, आदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि सम्मिलित नहीं है।
- 4- उक्त प्रश्नगत भूमि में ग्राम सभा की भूमि नहीं है

5- उक्त भूमि में सीविंग, न्यूज/रा. आस्वान की भूमि सम्मिलित नहीं है/ 20.3.21

अतः सादर उचित कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है जितेन्द्र कु. चौधरी

लेख
20/03/21

जितेन्द्र कु. चौधरी
लेखपाल
तहसील सदर, आगरा

स्वीकृत

20.3.21

तहसीलदार (सदर)
आगरा